The Uttar Pradesh High School and Intermediate College (Payment of Salaries of the Teachers and Other Workers) Adhiniyam, 1971

Act 24 of 1971

Keyword(s):
Examiner, Sanstha, Anurakshan Anudan, Prabandhadikaran, Teachers, Workers, Salaries

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A.15/71.24
cop.2

135684

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10-8-1971 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17-8-1971 ई० की बैठक में संशोधन सहित स्वीकृत किया तथा उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन को उ० प्र० विधान सभा ने दिनांक 19-8-1971 को स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29-8-1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30-8-1971 ई० को प्रकाशित हुआ) ।

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह अधिनियम प्रथम अगस्त, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के संबंध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 19-7-1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है ;

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(घ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो;

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता की या उसकी किसी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हो;

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है;

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं । संयुक्त प्रा[ंत] अधिनियम संख्या 2,1921

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

3—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा ।

(2) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायेगा ।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

4—(1) निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(2) जब उप धारा (1) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिये दिया जाय तो उसका अनुपालन इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, व विनियमों के उपबन्धों अथवा यथा स्थिति, उस की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा ।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

5—(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबंधाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है ।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुये उससे अधिक प्रतिशत के लिये निदेश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखें में जमा करेगा ।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान के अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चत्तर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी ।

(4) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये, नहीं किया जायगा, अर्थात् —

(क) 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना;

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिये दे दिया जायेगा ।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायेगा ।

(6) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायगे ।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

6—(1) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 3 अथवा धारा 5 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय ।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे--

(1) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिला कर पांच वर्ष से अधिक न हो; या

(2) किसी भी समय उक्त आदेश को विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (2) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा 5 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है ।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या करण में दी गई किसी असंगत बात के होते हुये भी प्रभावी होगा ।

अपील

7--धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

पुनरीक्षण

8--राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश क सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है, और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

बोर्ड के कतिपय कार्य के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

9--(1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में निहित किसी बात के होते हुये भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय ।

(2) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें, राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के संबंध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किये जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम की धारा 13 में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

(3) यदि राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह, यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय ।

वेतन के संबंध में दायित्व

10--(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च, 1971 के पश्चात् किसी अवधि क संबंध में देय हो ।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय की कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा ।

दंड, शास्ति तथा प्रक्रिया

11—(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दिशा में अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दंड दिया जायेगा जो छ: माह तक हो सकता है या अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।

(2) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा ।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अपवाद

12—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के संबंध में छूट

13—इस अधिनियम की कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

14—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

15—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या अनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के या विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

नियम बनाने का अधिकार

16—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के

लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1971

17—(1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, 1971, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, 1971 तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हो गया था ।

पी० एस० यू० पी० —ए० पी० 160 जनरल (लेग)–1972–1,805 (मे०) ।